



कार्यालय, नगर पालिक निगम भिलाई

क/एफ-166/स्टे.आयु/2020/3669

भिलाई, दिनांक 25/3/2020

// आदेश //

कलेक्टर महोदय का आदेश क्रमांक 314/सां.लि./2020 दुर्ग, दिनांक 25 मार्च 2020 संलग्न है। आपातकालिक परिस्थिति जैसे - मेडिकल कारणों से निजी वाहन से जिले के बाहर जाना आवश्यक समझते हो, उन्हें परमिट जारी करने की व्यवस्था के लिये स्थानीय निकाय के कार्यालय में निर्धारित प्रारूप में आवेदन दिये जाने व जांच उपरान्त अनुशंसा सहित प्रकरण अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी को प्रेषित करने एवं परमिट जारी करने से संबंधित है।

उक्त कार्य के लिये नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र के लिये नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 69(4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री ए.के. द्विवेदी, उपायुक्त को अधिकृत किया जाता है। उपरोक्त संबंधित आवेदन प्राप्त होने पर उसकी जांच उपरान्त अनुशंसा सहित लौटती डाक से अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, दुर्ग को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।


(अशु राज रघुवंशी)
आई.ए.एस.


आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

भिलाई, दिनांक 25/3/2020

क/एफ-166/स्टे.आयु/2020/3670

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, दुर्ग सभाग, दुर्ग को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस महानिरीक्षक, दुर्ग रेंज, दुर्ग को सादर सूचनार्थ।
3. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, दुर्ग, जिला-दुर्ग को सादर सूचनार्थ।
4. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, दुर्ग को सूचनार्थ।
5. अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, दुर्ग को सूचनार्थ।
6. श्री ए.के. द्विवेदी, उपायुक्त, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
7. श्री तरुण पाल लहरे, उपायुक्त/नोडल अधिकारी स्वास्थ्य, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
8. सर्व जोन आयुक्त, जोन क्र. 1,2,3,4 एवं 5, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।


आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, दुर्ग (छ.ग.)


आदेश

कमॉक / 314/सां०लि०/2020

दुर्ग, दिनांक 25 मार्च, 2020

COVID-19 कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु कार्यालयीन आदेश कमॉक 2913/प्र०जि०म०/2020 दुर्ग, दिनांक 23.3.2020 के माध्यम से लॉक डाउन के आदेश किये गये हैं। इस दौरान जो नागरिक इमरजेसी सिचुएशन (आपातकालिक परिस्थिति) जैसे- मेडिकल कारणों से निजी वाहन से जिले के बाहर जाना आवश्यक समझते हों, उन्हें परमिट जारी करने की व्यवस्था निम्नानुसार रहेगी:-

1. सलग्न प्रारूप में आवेदन स्थानीय निकाय के कार्यालयों/जनपद पंचायतों में दिये जा सकेंगे।
2. आवेदन की जाँच उपरांत अनुशंसा सहित प्रकरण अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी को प्रेषित किये जायेंगे।
3. परमिट जारी करने हेतु श्री गजेन्द्र सिंह ठाकुर, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, दुर्ग को अधिकृत किया जाता है।
4. जारी किया गया पास/परमिट आवेदन किये कार्यालय से प्राप्त किया जा सकेगा।


(अंकित आनंद)


कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
दुर्ग

दुर्ग, दिनांक 25 मार्च, 2020

पृ०कमॉक / 315/सां०लि०/2020

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, दुर्ग संभाग, दुर्ग को सूचनार्थ प्रेषित।
2. पुलिस महानिरीक्षक, दुर्ग रेंज, दुर्ग को सूचनार्थ प्रेषित।
3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, दुर्ग को सूचनार्थ।
4. अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, दुर्ग को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दुर्ग
6. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग/भिलाई/भिलाई चरोदा/रिसाली,
7. सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत, जिला दुर्ग,
8. अनुविभागीय दण्डाधिकारी, दुर्ग/धमधा/पाटन,
9. सर्व उप पुलिस अधीक्षक/अनुविभागीय अधिकारी, पुलिस, जिला दुर्ग
10. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, दुर्ग/धमधा/पाटन,
11. सर्व उप पुलिस अधीक्षक/अनुविभागीय अधिकारी, पुलिस, जिला दुर्ग


कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
दुर्ग

प्रति

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
जिला दुर्ग (छ.ग.)

द्वारा :- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत दुर्ग / धमघा / पाटन
मुख्य नगर पालिका अधिकारी जामुल / कुम्हारी / अहिवारा / धमघा / पाटन /
उतई
आयुक्त नगर पालिक निगम दुर्ग / भिलाई / भिलाई चरोदा / रिसाली

विषय :- स्वयं के वाहन से / किराये के वाहन से जिले से बाहर यात्रा की अनुमति ।

—00—

मै श्री / श्रीमती / सुश्री

पिता / पति श्री.....निवासी.....

तहसील.....जिलाराज्य.....

अपने स्वयं के वाहन / किराये के वाहन क्रमांकसे दिनांक

कोप्रयोजन से दुर्ग

जिले से बाहर स्थानतहसील.....जिला

.....राज्यजाना चाहता हूँ। कृपया अनुमति प्रदान करने का

अनुरोध हूँ ।

संलग्न :- दस्तावेज

आवेदक का हस्ताक्षर

पता

मो.नं.....